कार्यालय/OFFICE OF THE
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार और झारखण्ड
PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, BIHAR & JHARKHAND
प्रथम तल, केंद्रीय राजस्व भवन/1st FLOOR, C.R BUILDING,
बीरचंद पटेल मार्ग, पटना-८००००१/BIRCHAND PATEL MARG, PATNA-800001
दूरभाष नं : ०६१२-२५०४४४७, फैक्स : ०६१२-२५०४०६६/TEL NO : 0612-2504447,
FAX : 0612-2504066
ईमेल/Email - patna.pccit@incometax.gov.in

आदेश संख्या-212 of 2024
दिनांक:- 01.05.2024

सं.सं.PCCIT/PAT/Estt./25015/3/2017-18(OS)/.....................रिक्ति वर्ष 2024 के लिए 05.01.2024 को आयोजित डीपीसी द्वारा अनुशंसित पैनल के अनुसार, निम्नलिखित कर्मचारियों को कार्यालय अधीक्षक (7 वें सीपीसी के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 6 रु. 35,400/- - रु. 1,12,400/- एवं अन्य मान्य भत्ते) के पद पर नियमित रूप से In-situ आधार पर तत्काल प्रभाव अथवा नए पद पर योगदान देने की तिथि से, जो भी बाद में हो, पदोन्नत किया जाता है । ये कर्मचारी अगले आदेश तक उसी तरह के कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे जैसे वे वर्तमान कार्यालय में अपनी पदोन्नति से पहले कर रहे थे।

F.No.PCCIT/PAT/Estt./25015/3/2017-18(OS)/..................Pursuant to the panel recommended by the DPC held on 05.01.2024 for Vacancy Year 2024, the following officials are hereby promoted as Office Superintendent (OS) on regular basis (in the Pay Scale of Level 6, Pay Matrix Rs. 35,400/- - Rs. 1,12,400/- as per 7th CPC plus such allowances as may be admissible) with immediate effect or from the date of joining, whichever is later on In Situ basis. These officials will continue to discharge the same functions and duties as they were discharging before their promotion in the present office where they are posted until further order.

| Sl. No. | Name (Shri) | Category | D.O.B. | Employee No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anjani Kumar | UR | 04.01.76 | 165934 |
| 2 | Rajnish Kumar | UR | 01.03.80 | 166641 |
| 3 | Shiv Shankar Kumar | SC/PH | 05.09.85 | 169852 |

**Conditions**:

1. उपरोक्त नामित कर्मचारियों की उपरोक्त पदोन्नति/पारस्परिक वरिष्ठता इस संबंध में प्राप्त प्रशासनिक आदेश के साथ-साथ कानूनी फोरम के किसी भी अन्य निर्देश/आदेश, यदि कोई हो, के मद्देनजर प्रत्यावर्तन/संशोधन के अधीन होगी।
   The above promotion/inter-se-seniority of the above named officials shall be subject to reversion/revision in view of any further directions/orders of legal forum as well as administrative orders in this regard, received if any.
2. उक्त पदोन्नति आदेश किसी भी आकस्मिकता जैसे रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन, भर्ती नियमों में परिवर्तन आदि के साथ-साथ किसी न्यायालय/सीबीडीटी/डीओपीटी और किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किसी भी निर्देश के आलोक में समीक्षा/प्रत्यावर्तन के अधीन है।
   The said promotion order is subject to review/reversion due to any contingency like change in number of vacancies, change in Recruitment Rules etc as well as any direction received from any Court/CBDT/DoPT and any other Competent Authority

01.05.24

3. उपरोक्त पदोन्नति आदेशों CWP संख्या 13218/2009 माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय एवं दिनांक 15.07.11 केआदेश के परिणामस्वरूप अपील (c) संख्या 30621/2011 की विशेष अनुमति में और दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप अपील (c) संख्या 31288/2017 में एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या फा स 36012/11/2016-Estt (pes-1) (Pt-II) दिनांक 15.06.2018 के अनुसार संसूचित संबंधित न्यायिक मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित/ दिए गए आदेश/ निर्देश के अंतर्गत समीक्षा के अधीन होगी.

The said promotion order is subject to review in respect of any order/direction passed/given by Hon'ble Supreme Court in Special Leave to Appeal(C)No. 30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.11 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and Special Leave to Appeal(C)No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 and other related court cases as intimated vide DoPT OM F.No.36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15.06.2018.

4. उपरोक्त पदोन्नति आदेश एन आर परमार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में 27.11.2012 को दिये गए निर्णय के लागू करने के संबंध में बोर्ड के पत्र संख्या A-35015/26/2018-Ad.Vi दिनांक 27th May, 2019 के द्वारा दिये गए निर्देश के संबंध में पोषक संवर्ग में आपसी वरिष्ठता के पुनर्रिक्षण के अधीन होगी।

The said promotion order is subject to review in respect of revision/re-fixation of inter-se-seniority in feeder cadres in view of direction contained in Board's letter F.N. A-35015/26/2018-Ad.Vi dated 27th May, 2019 regarding implementation of the order dated 27.11.2012 of Hon'ble Supreme Court in the matter of N.R.Parmar.

5. उपरोक्त पदोन्नति आदेश एन आर परमार एवं एस एल पी (सी) संख्या 19565-19567 ऑफ 2019 के परिणामस्वरूप सिविल अपील संख्या 8833-8835 ऑफ 2019 में के मेघचन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम निगम सिरो एवं अन्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के विभिन्न दिशानिर्देश के अंतर्गत पोषक संवर्ग में आपसी वरिष्ठता के पुनर्रिक्षण/पुन:निर्धारण के अधीन होगा।

The said promotion order is subject to review in respect of revision/Re-fixation of inter-se-seniority, in feeder cadre in view of advisories issued/to be issued by HRD, CBDT, New Delhi to implement the judgment of Hon'ble Supreme Court in case of N R Parmar and in the case of K. Meghchandra Singh & Ors versus Nigam Siro & Ors in Civil Appeal No. 8833-8835 of 2019 arising out of SLP(C) Nos 19565-19567 of 2019 and various guidelines of DOPT.

6. पदोन्नति पाये गए कर्मचारियों का वेतन निर्धारण केंद्रीय सेवा नियम (पुनर्रिक्षित वेतन) के अनुसार 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार होगा।

The pay of the officials on promotion may be fixed in accordance with the recommendations of 7th CPC as per the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, applicable.

7. यदि एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान कर दिया गया है तो प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 35034/2008-Estt (D) दिनांक 19 मई 2009 और कार्यालय विज्ञापन संख्या 35034/3/20015 -Estt (D)दिनांक 28 सितंबर 2016 में अन्तर्निहित प्रावधनों के अनुसार इस ग्रेड में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का लाभ स्वीकार्य नहीं होगा तथापि कुछ मामलों में जहाँ नियमित पदोन्तिदो अनुकार्मिक वेतन मैट्रिक्स या ग्रेड के बीच नहीं हैं वहाँ संबंधित संवर्ग या संगठन के पदक्रम में आगामी पदोन्नति पद से संबंधित उच्चतर ग्रेड वेतन/मैट्रिक्स नियमित पदोन्नति के समय देय होगा।

No benefit of pay fixation shall be admissible on promotion in this grade for which financial up-gradation under MACP scheme has already been granted to them in accordance with the provisions contained in DoPT's circular No. 35034/2008/-Estt(D) dated 19.05.2009 and O.M. No. 35034/3/2015-Estt(D) dated 28th September, 2016. However, in certain cases, where regular promotion is not between two successive pay matrix/ grades, higher grade pay/pay matrix (as per 7th CPC) attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre/organization will be payable at the time of regular promotion.

संदीप कुमार
01.05.24

8. यह ध्यान दिया जाए कि उपयुक्त पदोन्ति को अस्वीकार करने की स्थिति में जिन कर्मचारियों को इस आदेश के अनुसार पदोन्नती दी गई है उन्हें DOPT OM NO.22011/5/91-ESTT(D) तारीख 27 मार्च 1997 के अनुसार पदोन्नति को अस्वीकार करने की तिथि से एक वर्ष तक या अगले रिक्ति उत्पन्न होने तक जो भी बाद में हो कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति होने से वंचित कर दिया जाएगा ।

It may be noted that in the event of refusing the above promotion the official getting promotion as per this order shall be debarred from promotion to the post of Office Superintendent for a period of one year from the date of refusal of the said promotion or till next vacancy arises, whichever is later, as per the DoPT OM No. 22011/5/91-Estt.(D) dated 27.03.97.

9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक तैनाती होने तक यह पदोन्ति स्वस्थाने आधार पर प्रभावी होगी और कर्मचारी उन्हीं कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे जो वे पदोन्नती के पूर्व कर रहे थे।

This promotion is being effected on ***In Situ*** basis and the official will continue to discharge the same functions and duties as they were discharging before their promotion till their formal postings are decided by the Competent Authority.

10. उपर्युक्त कर्मियो की कार्यग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट कर्मियो के कार्य ग्रहण के सात दिनों के अंदर संबंधित कार्यालय प्रमुख के द्वारा इस कार्यालय में अग्रसारित की जाएगी ।

The compliance report regarding joining of the above officials shall be forwarded by the concerned Head of the Office within seven days of joining of such official.

(नोट-किसी भी विवाद की स्थिति में इस आदेश का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा)

This issues with the approval of the Pr.CCIT(B&J), Patna.

(पल्लवी)
अपर आयकर आयुक्त (मुख्यालय)(प्रशासन),
पटना

Memo No. F.NO/PCCIT/PAT/ESTT/25015/3/2017-18(OS)/ 841 Dated: 01.05.2024

**<u>Copy for information to:</u>**

1. The DGIT (Inv.), Patna
2. The CCIT, Ranchi.
3. All the PCsIT/PDIT/CsIT/DIT under Bihar & Jharkhand.
4. ADG(Training), NADT-RC, Hazaribagh at Ranchi
5. Addl.CIT/JCIT (Appeals), Patna & Ranchi
6. All the ZAOs of Bihar and Jharkhand.
7. The GS, ITEF/ITGOA/ITSEWA, Bihar & Jharkhand Circle, Patna
8. ITO (Welfare), O/o Pr.CCIT(B&J), Patna
9. Offcials concerned
10. Guard File.

01.05.24
(मनीष कुमार)
आयकर उपायुक्त (मुख्यालय)( प्रशासन),
पटना